

7

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 172/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	--

09.01.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण निवासी 79, हनुवंत बी सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.10.18 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 1257 दिनांक 15.10.14 को राज्य आयोग जयपुर के परिवाद संख्या 725/14 निर्णय दिनांक 15.01.15 में प्रस्तुत किया था, की प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार लूणी) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	
----------	---	--